न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 125/2025

दायर दिनांक–23.05.2025

1. मंजू देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. रोनक पुत्र संजय कुमार जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादीगण

बनाम

1. अनिता पुत्री रामेश्वर लाल
2. अरूणा पुत्री रामेश्वर लाल
3. बबीता पुत्री रामेश्वर लाल
4. संतोष पुत्री रामेश्वर लाल
5. सिंणगारी देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री तेजपाल सिंह दूत
वकील प्रतिवादी :– श्री महावीर प्रसाद खींचड़

दावा बाबत घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–23.09.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम देवगांव की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 569/359 रकबा 1.95 है0 व राजस्व ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.08 है0 का राजस्व नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के मुताबिक दुरूस्त किया जावे तथा इस आशय की घोषणा की जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से वकील श्री महावीर प्रसाद खींचड़ ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से करवाये जाने के बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी की ओर से शहादत वादी में वादी मंजू देवी के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78 प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78 प्रदर्श 3 नकल नक्शा ट्रैस आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने [illegible] पत्र [illegible]र्ज तथ्यों को दोहराया। वकील प्रतिवादीगण ने वाद अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बह[illegible] मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया [illegible]वली पर उपलब्ध जमाबंदी [illegible] 2075–2078 से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे अनुसार [illegible] ट्रैस में अंकन गलत रूप से दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय[illegible] है। अतः वाद वादी न्यायोचि[illegible] से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवगांव की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 569/359 रकबा 1.95 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.08 है0 का राजस्व नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के मुताबिक दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 125/2025 **(मंजू आदि बनाम अनिता आदि)**

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.09.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवगांव की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 569/359 रकबा 1.95 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.08 है0 का राजस्व नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के मुताबिक दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested